

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

दिनांक:- 18.2.2020

विषय:- श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹4,25,00,000/- (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्रम संसाधन विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹4,25,00,000/- (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	Construction of 100 Bedded Boys Hostel Building (G+3) at ITI Samastipur Campus Distt. Samastipur.	991/14.05.18	₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	Construction of 100 Bedded Boys Hostel (G+3) at ITI Rosera Campus Distt. Samastipur.	990/14.05.18	₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये)
3.	भवन प्रमंडल, शेखपुरा	Construction of Proposed 100 Bedded Boys Hostel in Campus of I.T.I. Sheikhpura.	984/14.05.18	₹1,25,00,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये)
4.	भवन प्रमंडल, जहानाबाद	Construction of 100 Bedded Boy's Hostel (G+3) at ITI Campus Jehanabad, for the year 2017-18.	986/14.05.18	₹1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रुपये)
कुल योग:-				₹4,25,00,000/- (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र।

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन विपत्र कोड-03-4059600510112 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0112.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वासभाजन

(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 1454 (अ)

दिनांक:- 18.2.2020

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित कुमार)
13/2/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 1454 (अ)

दिनांक:- 18.2.2020

प्रतिलिपि:-सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित कुमार)
13/2/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(अमित कुमार)